



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता
न्यायालय परिसर, मेड़ता।

Email - dlsa27merta@gmail.com

Phone - 01590-294039


Requirement of Retired Judicial Officers for member in Legal Service Unit and Legal Service Unit for children (LSUC) Committee.

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा विधिक सेवा दिवस 2024 के अवसर पर 02 योजनाओं का संशोधित SOP प्रेषित किया है:-
01-NALSA (Legal Service to person with Mental Illness and person with Intellectual Disabilities scheme) 2024

02-NALSA (Child Friendly Legal Services for Children Scheme) 2024

इस संबंध में माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि NALSA (Legal Service to person with Mental Illness and person with Intellectual Disabilities scheme) 2024 तथा NALSA (Child Friendly Legal Services for Children Scheme) 2024 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर एक-एक कमेटी (Legal Service Unit and Legal Service Unit for children LSUC) का गठन किया जाना है जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता द्वारा की जाएगी तथा सदस्य के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी (कुल 02) को नामित किया जाना है। उक्त कमेटी द्वारा आमजन में विधिक जागरूता शिविरो के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं के प्रचार-प्रसार व विधिक जानकारी प्रदान किया जाना है।

अतः निवेदन है ऐसे इच्छुक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अपना नाम व बायोडाटा 25.11.2024 तक इस प्राधिकरण को dlsa27merta@gmail.com पर प्रेषित करवाने का श्रम करावे।


20/11/24

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मेड़ता।